राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 18(36)नविवि/एनएएचपी/2014 जयपुर, दिनांक :– 26 OCT 2015

आदेश

विषय :– **मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानों के अनुरूप सम्बन्धित भवन विनियमों में संशोधन किये जाने बाबत।**

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.09.2015 से मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 लागू की गयी है, जिसकी प्रति पूर्व में विभाग द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। इस नीति के प्रावधानों के अनुरूप प्रचलित भवन विनियमों में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भवन अनुमोदन हेतु निम्न संशोधन किये जाते है :–

1. **ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. आवास** – निजी विकासकर्ताओं की ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों का प्रावधान निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाना है :–
   (i) भूखण्ड़ का क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक होने की स्थिति में 7.5 प्रतिशत एफ.ए.आर. ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. आवासों हेतु आरक्षित किया जाना होगा
   (ii) ऐसे भूखण्ड़ जिनका क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से कम है तथा जिन पर फ्लैट्स का निर्माण प्रस्तावित है, उनके लिए अतिरिक्त शैल्टर फण्ड रूपयें 100/– प्रति वर्गफीट कुल 7.5 प्रतिशत एफ.ए.आर. के बराबर क्षेत्रफल पर लिया जाना होगा।
2. **भू–आच्छादन** – भू––आच्छादन ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी भूखण्ड़ के कुल भूमि के 50 प्रतिशत (अधिकतम) क्षेत्रफल तक स्वीकृत किया जा सकता है।
3. **सैटबैक** – ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों हेतु पार्श्व एवं पीछे के सैटबैक भवन की ऊंचाई के आधार पर निम्नानुसार रखे जाने होंगे :–
   (i) 15 मीटर तक की ऊंचाई के भवनों के लिए – 3 मीटर
   (ii) 15 मीटर से अधिक की ऊंचाई के भवनों के लिए – 6 मीटर
   (iii) प्लॉटेड़ डवलपमेन्ट की योजनाओं में अग्र सैटबैक भवन विनियमानुसार एवं अन्य सभी सैटबैक शून्य अनुज्ञेय किये जा सकेंगे।